



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238402
CG-DL-E-26082022-238402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3839]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944

No. 3839]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

का.आ. 4013(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में रिंग रोड के कि.मी. -0.687 से कि.मी. 57.568 यानी राया मोड़ से जगती तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त जम्मू (वजरात रोड, पीर खो, पक्की ढाकी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में रिंग रोड (NH-244A) के कि.मी. -0.687 से कि.मी. 57.568 यानी राया मोड़ से जगती के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		जिले का नाम: जम्मू			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जम्मू नॉर्थ					
गांव का नाम: खेरी					
1	71	निजी	गैर कृषि	0.0151700(हेक्टेयर)	0.0151700
तालुक का नाम: मण्डल					
गांव का नाम: अलोरा					
1	702	निजी	कृषि	0.0395000(हेक्टेयर)	0.0395000
गांव का नाम: सोहंजना					
1	449	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
2	491	निजी	कृषि	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
3	495	निजी	कृषि	0.1375000(हेक्टेयर)	0.1375000
4	499	निजी	कृषि	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
5	558	निजी	कृषि	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
6	800	निजी	कृषि	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
7	801	निजी	कृषि	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
8	812	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
9	867	निजी	कृषि	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
तालुक का नाम: मढ़					
गांव का नाम: चक कलसा					
1	150	निजी	कृषि	0.0355000(हेक्टेयर)	0.0355000
2	172	निजी	कृषि	0.0718000(हेक्टेयर)	0.0718000
3	201	निजी	कृषि	0.0515000(हेक्टेयर)	0.0515000
4	205	निजी	कृषि	0.0062000(हेक्टेयर)	0.0062000
5	208	निजी	गैर कृषि (चोई)	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000

गांव का नाम: चक कौलन					
1	74	निजी	कृषि	0.1275000(हेक्टेयर)	0.1275000
गांव का नाम: चक तारू					
1	216	निजी	कृषि	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
गांव का नाम: छबू चक					
1	378	निजी	कृषि	0.0012000(हेक्टेयर)	0.0012000
2	436	निजी	कृषि	0.0612500(हेक्टेयर)	0.0612500
गांव का नाम: हलका					
1	64B	निजी	कृषि	0.0632321(हेक्टेयर)	0.0632321
कुल				1.0705	1.0705

[फा. सं. NHAI/PIU-JMU/RR/001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

S.O. 4013(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. -0.687 to Km. 57.568 i.e. Raya Morh to Jagti in the district of JAMMU in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Jammu (Wazarat Road, Peer Kho, Pakki Dhaki, Jammu) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Raya Morh to Jagti on Ring Road (NH-244A) in the district of JAMMU in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR		District: JAMMU			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jammu North					
Village: Kheri					
1	71	Private	Non Agriculture	0.0151700(Hectare)	0.0151700
Taluk: Mandal					

Village: Alora					
1	702	Private	Agriculture	0.0395000(Hectare)	0.0395000
Village: Sohanjana					
1	449	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
2	491	Private	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
3	495	Private	Agriculture	0.1375000(Hectare)	0.1375000
4	499	Private	Agriculture	0.0350000(Hectare)	0.0350000
5	558	Private	Agriculture	0.0375000(Hectare)	0.0375000
6	800	Private	Agriculture	0.0675000(Hectare)	0.0675000
7	801	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
8	812	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
9	867	Private	Agriculture	0.1800000(Hectare)	0.1800000
Taluk: Marh					
Village: Chak Kalasa					
1	150	Private	Agriculture	0.0355000(Hectare)	0.0355000
2	172	Private	Agriculture	0.0718000(Hectare)	0.0718000
3	201	Private	Agriculture	0.0515000(Hectare)	0.0515000
4	205	Private	Agriculture	0.0062000(Hectare)	0.0062000
5	208	Private	Non-Agriculture(Choi)	0.0076000(Hectare)	0.0076000
Village: Chak Kaulan					
1	74	Private	Agriculture	0.1275000(Hectare)	0.1275000
Village: Chak Taru					
1	216	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
Village: Channu Chak					
1	378	Private	Agriculture	0.0012000(Hectare)	0.0012000
2	436	Private	Agriculture	0.0612500(Hectare)	0.0612500
Village: Halqua					
1	64B	Private	Agriculture	0.0632321(Hectare)	0.0632321
Total				1.0705	1.0705

[F. No. NHAI/PIU-JMU/RR/001/3A]

RAJESH GUPTA, Director